

कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर

दूरभाष - 05944 242400 e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit
www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 1161 / कर कक्ष / 2022-23 P.B

दिनांक- 6-7-2022

ई-निविदा सूचना

नगर निगम रुद्रपुर में सदस्यों के उप-निर्वाचन में आदर्श आधार सहित प्रभावी होने के कारण होर्डिंग यूनिफॉर्म/विज्ञापन शुल्क वसूली दि. 20.22.2024 हेतु ई-निविदा की प्रक्रिया को अस्थाई रूप से द्वारा कार्यालय पत्रांक-752 दिनांक 31.05.2022 के द्वारा स्थगित किया गया था। होर्डिंग यूनिफॉर्म/विज्ञापन शुल्क वसूली की निविदा की तिथियां निम्नानुसार निर्धारित की गयी है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा की तिथियाँ	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष/अनुभाग
1.	होर्डिंग/यूनिफॉर्म विज्ञापन शुल्क वसूली जोन प्रथम	7.7.22 के 11:00 AM से 25.7.22 के 11:30 AM तक	25.7.22 के 12:00 PM	कक्ष सं. 12
2.	होर्डिंग/यूनिफॉर्म विज्ञापन शुल्क वसूली जोन द्वितीय	7.7.22 के 11:00 AM से 25.7.22 के 11:30 AM तक	26.7.22 के 12:00 PM	कक्ष सं. 12

उक्त निविदाओं की शर्तें नगर निगम की वेबसाइट <http://uktenders.gov.in> पर भी देखी जा सकती हैं।

Vishal
नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

Rampal
महापौर
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर

दूरभाष - 05944 242400 e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक- 1161 / कर कक्ष / 2022-23 P.B

दिनांक- 6-7-2022

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु प्रेषित।

01. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

02. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी।

03. कार्यालय मुख्य कायाधिकारी, ऊधम सिंह नगर

04. सम्पादक *अमर-कृष्ण* के इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 7.7.22 के अंक में प्रस्तावित छूट के साथ न्यूनतम दरा में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एवं उक्त समाचार पत्र को दो प्रतियों में बिल मुगलान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

05. श्री तपन कुमार राय, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना शर्त एवं निविदा प्रपत्र को तत्तत्सम वेबसाइट <http://uktenders.gov.in> व नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड करने एवं निश्चित तिथि को निविदा कमेटी के समक्ष टेडर खोलना सुनिश्चित करें।

06. कार्यालय, नगर निगम रुद्रपुर के सूचनापट पर चरपा हेतु।

Vishal
नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

जिन्दगी चुनो, तम्बाकू नहीं

उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली 2015 के अनुपालन में -जोन प्रथम (zone-1) रामपुर दिल्ली रोड ए0एल0पी0कम्पनी से डी0डी0 चौक तक (एन0एच-87), व गौतम हॉस्पिटल से एलाइंस गेट तक-यूनिपोल/होर्डिंग लगाने हेतु ई-निविदा (2022-24) की शर्तें एवं प्रावधान:-

1. विज्ञापन पट्टा होर्डिंग/यूनिपोल लगवाने हेतु ठेके की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष तक के लिये मान्य होगी।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम बोली की धनराशि 36,40,000.00/- (रु0 छत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) 02 वर्ष तक के लिये निर्धारित है।
3. उच्चतम निविदादाता की दर (टेका) स्वीकृत होने के 03 (तीन) दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 03 प्रतिशत) नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार को कार्यादेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून के समय-समय पर हुए आदेशों के अन्तर्गत ठेके की राशि के 03 प्रतिशत की दर से देय होगा।
4. भविष्य में यातायात, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और न्यायालय के आदेश पर कोई भी यूनिपोल/होर्डिंग हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित एजेंसी को निर्धारित समय में यूनिपोल/होर्डिंग को हटाना होगा। इस सम्बन्ध में एजेंसी को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति देय हेतु समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
5. तकनीकी निविदा के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, एवं किन्हीं 05 वर्षों में से (वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21) किन्हीं 03 वर्षों का प्रत्येक वर्ष का टर्न ओवर रु0 40,00,000.00 मात्र का आयकर रिटर्न सलग्न करना अनिवार्य होगा तथा सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी) या सी0ए0 द्वारा निर्गत नवीनतम वैसियत प्रमाण/Net Worth प्रमाण पत्र (दोनों ही मान्य) मूल प्रति सलग्न करना अनिवार्य होगा। वैसियत प्रमाण पत्र 06 माह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदा दाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुरद-बुरा नहीं किया गया है, ई-निविदा के साथ-साथ निविदा प्रपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित निविदा नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा दाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तावित निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत (3,64,000.00) धनराशि जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर के नाम बन्धक हो, प्रतिभूति के रूप में एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में सलग्न करना अनिवार्य है, जिससे ई-निविदा के साथ मूलरूप में नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना होगा।
7. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सहित निविदा स्वीकृति के 03 दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जी0एस0टी0 सहित 06 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत हुई हो, की अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, साथ ही धरोहर/प्रतिभूति राशि यदि कोई हो तो जब्त कर दी जायेगी तथा द्वितीय बोलीदाता (H2) को उतनी ही धनराशि पर कार्य करने की कार्यवाही की जायेगी।
9. अपरिहार्य कारणों से यदि ससमय निविदा न हो पाने की दशा में निविदा धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए समयावृद्धि किये जाने हेतु बोर्ड/समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
10. यूनिपोल/होर्डिंग हाईटेंशन लाईन से उचित दूरी पर लगाये जायेंगे, इससे सम्बन्धित सुरक्षा का दायित्व निविदादाता /फर्म का होगा। इस सन्दर्भ में विद्युत विभाग के नियमों का पालन करना होगा।

11. यूनिपोल/होर्डिंग इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि कोई दुर्घटना होती है, तो क्षतिपूर्ति हेतु अनुबन्धकर्ता/फर्म/ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
12. यूनिपोल का अधिकतम साईज 6.0मी0X3.0मी0 से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 2.5 मी0 से कम नहीं होगा या स्थल के अनुसार कम करना होगा। यूनिपोल चिह्नित किये गये स्थलों पर ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।
13. किसी भी निविदा दाता को ब्लैक लिस्टेड होने पर निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। "निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह ब्लैक लिस्ट नहीं है तथा उसके नाम पर किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/संस्था में देनदारी नहीं है"।
14. यूनिपोल/होर्डिंग सम्बन्धित विज्ञापन एजेंसी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर ही लगाये जायेंगे। नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
15. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन तथा आम जनमानस में घृणा फैलाने, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले ना हो एवं शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने वाले विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे।
16. निविदादाता द्वारा निगम हेतु 04 यूनिपोल एवं 04 होर्डिंग आरक्षित रखे जायेंगे, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर निगम को विज्ञापन लगाये जाने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर का निर्णय मान्य होगा, तथा ठेके के प्रावधानों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर) के यहाँ अपील की जा सकती है।
18. किसी भी ई-निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार, जिला ऊधम सिंह नगर के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
19. निविदादाता को निविदा तिथि समाप्त होने के पश्चात् ही जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
20. सम्बन्धित विज्ञापन एजेंसी को समय-समय पर जारी निगम/जिला प्रशासन/मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
21. प्रत्येक यूनिपोल/होर्डिंग में 01 यूनिक कोड सख्या अंकित करना अनिवार्य होगा जो कि जोन0 01 के लिये 12001 से अंतिम सख्या तक लिखा जायेगा। अन्य स्थानों पर एवं अन्य माध्यमों से विज्ञापन प्रचार-प्रसार हेतु नगर आयुक्त, द्वारा पृथक् से अनुमति दी जायेगी, तथा शुल्क नगर निगम, द्वारा लिया जायेगा।
22. यूनिपोल/होर्डिंग लगाने में लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मिकों का नियमानुसार पी0पी0 एफ0, बीमा, सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी।
23. निविदादाता को अपने आवंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉलपेंटिंग, बिजली के खम्भों पर लगे अवैध पोल् क्योरक व छतों पर लगे अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरुद्ध स्वयं कार्यवाही करनी होगी। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र होगा।
24. निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिडीकेट या कार्टेल या पूर्व में रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
25. सभी यूनिपोल/होर्डिंग का फाउण्डेशन व उसका स्वरूप नगर निगम के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार ही रखना होगा।
26. प्रत्येक विज्ञापन प्लेट/होर्डिंग को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुराध्यतानुसार संसाधित धातु (स्टील) के होंगे, और 02 फीट से अधिक नहीं होंगे।

27. अनुज्ञा केवल उस अवधि तक ही प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी है। भूतल से विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई 6 मी० से अधिक नहीं होगी।
28. ऐसी सघनता या घनत्व वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो, ऐसे विज्ञापन पट्ट नहीं लगाये जायेंगे तथा समय-समय पर ठेकेदार द्वारा यूनीपोल का अनुरक्षण (Maintenance) किया जायेगा।
29. सभी विज्ञापन पट्ट अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ मली-भाँति मरम्मत किये जाये, जो कि ढाँचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी, तथा उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग-रोगन किया जायेगा।
30. अनुबन्धकर्ता को यह कर्तव्य व उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा घरे गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे।
31. विज्ञापन पट्ट/होर्डिंग अनुज्ञात स्थान पर ही प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।
32. राज्य सरकार या नगर निगम, द्वारा पी०पी०पी० मोड में प्रस्तावित ऐसी योजनाएँ जिनमें विज्ञापन के अधिकार भी दिये गये हो, पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
33. निविदादाता को उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण नियमावली 2009 में विहित प्राक्खानों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा।
34. यदि प्रस्तावित चिन्हित स्थलों पर अपरिहार्य कारणों से स्थल परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो उसके स्थान पर अनुबन्धकर्ता को नया स्थल चिन्हित कर दिया जायेगा। नये स्थल चयन में समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
35. निविदा खोलते समय समस्त पत्रों की मूल प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगी। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
36. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में ई-निविदा की शर्त अनुबन्ध का भाग होगी, तथा उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर अनुबन्धकर्ता को 15 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उक्त समाधान न किये जाने पर प्रथम बार में रु० 5,000/- दूसरी बार में रु० 10,000/- जुर्माना व तीसरी बार में ठेके निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।
37. **स्क्रीप की नीलामी-** नगर निगम सीमा में अवैध रूप से विज्ञापन के लिये प्रयुक्त वस्तुओं, खम्भों, गार्डर, यूनीपोल, जाल, एंगिल, गिल, घेरा, ढाँचा आदि को चाहे वह नगर निगम की सार्वजनिक भूमियों, भवन, सड़क, खड़जा, डिवाइडर आदि पर हो अथवा अन्य किसी सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत भूमि अथवा भवन पर हो या अन्य प्रकार से हो, नगर आयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत जब्त कर लेगा तथा स्क्रीप व कबाड़ को अधिनियम की धारा 521 के अन्तर्गत नीलामी अथवा अन्य प्रकार से विक्रय अथवा निस्तारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि-

- (क) निविदा दरे निर्धारित अनुज्ञा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किया जाता है।
- (ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वैभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनष्टिकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील गन रेखाचित्र या मदनमत्ता को कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।
- (ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दसर उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।

[Handwritten signatures and stamps]

विज्ञापन शुल्क वसूली ई-निविदा की निर्धारित Key Dates निम्नानुसार है:-

S. No	Schedule/ Information	Date	Time
1	Date of online publication	7.7.2022	11.00 AM
2	Documents download start date	7.7.2022	11.00 AM
3	Bid submission start date	7.7.2022	11.00 AM
4	Pre Bid Conference Date	15.7.2022	12.30 PM
5	Bid submission End date	25.7.2022	11.30 AM
6	offline submission of hard/ original copy of documents End Date	25.7.2022	11.30 AM
7	Bid Opening Date	25.7.2022	12.00 PM

(कपूर सिंह)
कर एवं राजस्व मौहरीर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(लता आर्या)
कर अधीक्षक
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

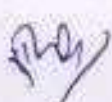
(विशाल मिश्रा)
I.A.S
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(रामपाल सिंह)
माओ महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

यूनिपोल हेतु चयनित स्थल 2022 से 2024 तक
जोन- 01

क्र० सं०	यूनिपोल हेतु चयनित स्थल		
A	रामपुर-दिल्ली रोड ए०एल०पी० कम्पनी से डी०डी० चौक तक (एन०एच०-87)	यूनीपोल संख्या	
01	कबीर द्वार से पहले	01	
02	डाइट के सामने वाली रोड पर	01	
03	प्रीत बिहार से पहले	01	
04	ए०एन०झा० कॉलेज के सामने फाजलपुर रोड पर	01	
05	ए०आर०टी०ओ० कार्यालय के दूसरी साईड पर	01	
06	ए०आर०टी०ओ० कार्यालय के बगल में	01	
07	रॉयल इन्क्वील्ड शोरूम के बगल से अरविंद लाइब्रेरी के बीच में	01	
08	ए०एल०पी० के बगल में	01	
09	डिग्री कॉलेज गेट के बगल में	01	
10	जिला पंचायत बोर्ड के बगल में	01	
11	ए०एन०झा० कॉलेज के बगल में दोनों छोर पर	01	
12	कोतवाली गेट के लास्ट छोर पर	01	
13	शमा विक्रम कार्नेर के सामने	01	
14	पानी के टकी के बगल में खाली मैदान	01	
15	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता के कोने पर सिब्लल सिनेमा रोड से पहले एक	01	
16	रोडवेज के सामने ओपी शॉप के साथ	01	
17	दिल्ली रामपुर रोड पर ट्रेनिंग सेन्टर रोड पर	01	
18	दिल्ली रामपुर रोड पर डाइट संस्थान गेट के पास	01	
19	प्रीत बिहार मार्ग के सामने डाईने के दूसरी तरफ	01	
B	(गौतम हॉस्पिटल से एलाइंस गेट तक) (एन०एच० 74 इन्दा चौक से बिगवाड़ा तक)		
20	इन्दा चौक के पेट्रोल पम्प के साइड में	01	
21	अधिशाली अभियन्ता कार्यालय के सामने पेट्रोल पम्प से आगे साई लेव के बगल में	01	
22	जिला पुराना जिला मलेरिया के बगल में	01	
23	यातायात ऑफिस के पीछे	01	
24	सरकारी भवन के बगल में एस०डी०एम० रोड के सामने	01	
25	रामलीला मैदान के बगल में दीवार से लगता हुआ	01	
26	कुष्ठ आश्रम के गेट के बगल में	01	
27	शमशान घाट गेट के कोने में	01	

1	अधिशाली अभिव्यक्ति कार्यालय उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन प्रथम (बीड) के मोड़ पर पीछे	01	
29	शुक्ला फार्म के सामने राईस मिल के लास्ट में	02	
30	गड्डी समिति के सामने कोटिया धर्मकोटा के अंत में	01	
31	बीमा हॉस्पिटल से पहले देव हॉम मोड़ पर	01	
32	गौतम हॉस्पिटल से लगा हुआ (स्वयं को)	01	
33	मेडिसिटी हॉस्पिटल के पास	01	
34	डिवाइन कार सर्विस के सामने खाली प्लॉट के कोने में लीकैसल के बगल में	01	
35	नर्सिजद के लास्ट छोर पर एक	01	
36	उत्तराखण्ड राज्य भण्डार के सामने	01	
37	अमृत हॉस्पिटल के सामने कब्रिस्तान वाली गली के गेट पर	01	
38	गल्ला मण्डी गेट के सामने दूसरी छोर पर सुलभ शौचालय के सामने	01	
39	हिलर्स के बगल में बेकरी ग्रोथ सेंटर के गेट पर (इन्द्रा अम्मा भोजनलय)	01	
40	पावर हाउस के बगल में एक	01	
41	होटल अग्रवाल से पहले	01	
42	होटल अग्रवाल के गंगोज होटल से पहले	01	
43	बजाज के बगल में पलाई ओवर के दाहिने साईड	01	
44	एचबीए हॉस्पिटल के स्वयं का यूनीपोल	01	
45	ऑचल दूध डेरी के बगल में	01	
46	पुराना सरकारी गोदाम के बगल में पुराने सरिया शॉप के कोने पर	01	
47	अमृत हॉस्पिटल के कोने पर	01	
48	एसबीआई के दोनों छोर पर	02	
49	बीमा अस्पताल से पहले	01	
50	इम्पेरियल ग्रोस कालोनी के गेट के दाये एवं बाये छोर पर।	02	
51	गण्डी समिति गेट से पहले (भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने)।	01	
52	अग्निहोत्री इन्जिनियरिंग के गेट के बगल में।	01	
53	केएलएच राईस मिल के सामने।	01	
54	विपिन राइस मिल के सामने (दुधिया बाबा मंदिर के सामने पहाड़गज प्रवेश मार्ग पर)।	01	
55	गल्ला मण्डी प्रवेश द्वार डिवाइडर पर। (गौरव ट्रेडिंग कम्पनी के सामने)	01	
56	मेडिसिटी के सामने नाल से सलग्न भूमि।	01	
57	दूधिया ग्राउण्ड में ट्रामल मशीन के बराबर में।	01	
58	इन्द्रा चौक के निकट नाल से सलग्न भूतबगला रोड पर	01	
कुल यूनीपोलो की सं०-61			






होर्डिंग हेतु चयनित स्थल 2022 से 2024 तक

जोन- 01

क्र. सं.	होर्डिंग स्थल	यूनीफोल संख्या	राशि
A	काशीपुर-किच्छा मुख्य मार्ग (NH-74)		
1.	इन्द्रा चौक एस.बी.आई	06	
2.	काशीपुर मेन रोड बिजली घर से नवोदय विद्यालय तक	02	
कुल होर्डिंग की संख्या-08			

